राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1988/2013/उदयपुर
मैसर्स माउण्टेन मिनरल्स एण्ड माईक्रोन्स लिमिटेड
उदयपुर अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
विशेष वृत/वृतसी,उदयपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री लोकेश बाबेल
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांकः 23.04.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त,अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 47/वैट/संशोधन/12–13/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 25.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण दिनांक 28.12.2011 को पारित कर वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा शास्ति रू. 1,04,293/–आरोपित की गई थी। उक्त आरोपित शास्ति के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय आधिकरी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने संयुक्त आदेश दिनांक 18.04.2013 पारित कर, शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया था कि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए नियम 48 का उल्लंघन हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 18.04.2013 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनिम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2013 के द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संयुक्त आदेश दिनांक 18.04.2013 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया कि व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार कर निर्धारण पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.07.2013 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे केन्द्रीय

अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस दिये अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है,जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। उनका कथन है कि इनपुट टैक्स पर शास्ति आरोपित की गई है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अग्रिम कर अदा कर दिया था इसलिए आरोपित शास्ति अविधिक है,जिसे अपास्त किया जाये। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर शास्ति आरोपित करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकार को दे दिया है,जो उचित एवं विधिक नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1859/2012/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत सी,जोधपुर बनाम मैसर्स बेकर हम्स,सिंगापुर पीटीई/केयर्न एनर्जी इण्डिया प्रा.लि.जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 को उद्धृत कर प्रस्तुत अपील स्वीका करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय पत्रावली के अवलोकन पर पाया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.12.2011 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 12.12.2011 का दिनांक 06.11.2011 को जारी किया गया है,जो अपीलार्थी व्यवसायी को तामील हुआ है,जिसकी तामीली रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, इसी को ध्यान मे रखते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये हैं कि व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार कर निर्धारण आदेश पारित करें। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 2009—10 का कर निर्धारण दिनांक 28.12.2011 को पारित कर शास्त रू. 1,04,293/—आरोपित की ,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने यह मानकर शास्ति अपास्त की है कि अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाकर नियम 48 का उल्लंघन किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपलीय अधिकारी के आदेश दिनांक

18.04.2013 में संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2013 पारित करते समय पत्रावली के अवलोकन पर पाया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.12.2011 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया तथा उसे तामील भी कराया है। उक्त तथ्य के आधार पर रेकार्ड से परिलक्षित भूल होना मानकर आदेश दिनांक 18.04.2013 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आती है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.07.2013 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य